‘चित्रकूट–संसद’

(चित्रकूट जनपद के विकास पर केन्द्रित जनप्रतिनिधियों एवं जनमानस की निर्णायक बैठक)

दिनांक : **२३ जनवरी २०१०**

स्थान : **भारत जननी परिसर, रानीपुरभट्ट, सीतापुर, चित्रकूट (उ०प्र०)**

सुझाव/प्रस्ताव

ञ कार्यक्रम से पूर्व लगभग ४०० सुझाव–पत्रक जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों एवं जनसंगठनों के प्रतिनिधियों, मीडियाकर्मियों, शिक्षाविदों, विकास चिंतकों, प्रबुद्धजनों तथा अधिकारीगणों को सौंपे गए थे। २२ जनवरी २०१० हमें कुल ५५ महानुभावों के सुझाव प्राप्त हुए हैं। आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत हैं।

(एक)

१. चित्रकूट जनपद में समुचित जल–प्रबंधन (सिंचाई एवं पेयजल) हेतु प्रमुख रूप से यह करणीय है–

१. तालाबों को चिन्हित कर उनकों गहरा किया जाये।
२. नये तालाबों का निर्माण किया जाये ताकि वर्षा जल का संचय हो सके।
३. खेतों की मेड़बन्दी की जाये।
४. नहरों की सफाई।
५. रैन वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था।
६. मंदाकिनी के किनारे सीवर पाइप लाइन की व्यवस्था हो।
७. गंदे पानी को नदी के किनारे ड्राईवर्जन ड्रेन बनाकर खेतों में सिचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये।
८. गर्मियों में भी गन्दे पानी का प्रयोग खेतों में फिल्टर उपरान्त करके जायत की फसले ली जा सकती हैं।
९. वृक्षारोपण एवं उनका रख–रखाव।
१०. बाधों की सीपेज रोकने की व्यवस्था करना।
११. जल के अधाधुन्ध दोहन पर रोक लगाई जाये।
१२. जल प्रदूषण को रोकने के लिए जन चेतना जागृति की जाये।
१३. जनपद की नदियों से नहरें निकाली जायें।
१४. पेयजल के लिए गाँव–गाँव में नई टकिंयाँ बनाई जायें।
१५. शहरी और ग्रामीण पेयजल योजनाओं का मास्टर प्लान बनाकर क्रियान्वयन।
१६. पाठा जलकल संस्थान के कार्यों की कड़ी मानीटरिंग।

१७. जलाशयों का भराव स्थानीय पहाडों से।
१८. रमयापुर गाँव के पास बरुवा बांध से आने वाली नहर में पैयसुनी या बागै से पानी लिप्ट करें।
१९. हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य पंचायत से हटाकर सम्बन्धित विभाग को दें।
२०. अनुसुइया आश्रम के पास भैरव बीहर से लिप्ट द्वारा पाठा में सिचाईं की व्यवस्था।
२१. गुन्ता बांध में अगरहुडा के पास से नहर निकालकर रैपुरा गाँव में सिंचाई की व्यवस्था।
२२. ट्यूब बेलों व पम्प कैनालों को को पर्याप्त बिजली दी जाये।
२३. किसानों को सस्ते दर पर बोरिंग की सुविधा दी जाये।
२४. पहाड़ों का तटबन्ध तैयार कर बड़े डैम का निर्माण बरदहा नदी में मरवरिया पहाड़ व रानीपुर पहाड़ को जोड़कर बांध का निर्माण।
२५. डीप बोर के बजाय कूप निर्माण का प्रबन्धन।
२६. अनुत्पादक तथा अधिक जल के उपयोग पर अतिरिक्त टैक्स लगे।
२७. मंदाकिनी नदी की बिना रुकावट अविरल जल प्रवाह आवश्यक।
२८. नदी के दोनों ओर १०० मीटर तक पक्के निर्माण पर प्रतिबन्ध।
२९. जल सप्लाई पाइपों की निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
३०. भूगर्भ जल का दोहन कम किया जाये।
३१. खेत का पानी योजना का लाभ प्रत्येक किसान को दिया जाये।
३२. छोटी–छोटी नदियों में बांध बनाकर वर्षा जल रोका जाये।
३२. यमुना से पानी लिप्ट कर सिंचाई जल प्राप्त किया जाये।
३३. तालाब निर्माण में तकनीकी देख–रेख आवश्यक है।
३४. यमुना नदी में जाने वाले नालों के जल को रोका जाये।
३५. नये निर्मित होने वाले मकानों में मिनी वाटर स्टोर अनिवार्य किया जाये।
३६. जनपद के ऊबड़–खाबड जमीनों पर सघन रूप से वाटरशेड बनाये जायें।
३७. सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार पुराने जल स्रोतों का १९४७ की यथा स्थिति पर रखकर उनके संरक्षण विस्तार एवं सुन्दरीकरण किया जाये।
३८. नदियों के किनारे लिप्ट सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो।

३९. तालाबों की मुक्ति, गहरीकरण, सफाई, जलभराव–निकासी का योग्य प्रबन्ध।
४०. बड़े तालाबों में जल भराव कूप वाटर रीचार्जिंग कूप प्रबन्ध।
४१. पर्वतों के चारो ओर (जहाँ जैसी स्थिति) गोल–गहरी चौड़ी नालियां।
४२. प्रत्येक खेत में यथा सम्भव छोटे तालाब फार्म पाण्ड निर्मित करना।
४३. बंधीकरण के व्यापक किन्तु ठीक तकनीकि से अभियान के रूप में कार्यों का क्रियान्वयनं

....
....
....
....
....
....
....

(दो)

२.कृषि–प्रबंधन हेतु हरहाल में ऐसे कार्य कराया जाना आवश्यक है–

१. जनपद में राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन लागू है परन्तु उसमें घेर वाड की व्यवस्था नहीं है। कृषि क्षेत्र में वायर/वेजीरेटिन सुरक्षा बाड़ (फेंसिंग) व्यवस्था हो।
२. खेतों में सिंचाई नालियों का निर्माण हो।
३. स्प्रिकलर प्रणाली को अनिवार्य किया जाये।
४. कम पानी चाहने वाली फसलों के उत्पादन का बढ़ावा दिया जाये।
५. मेड़बंदी के बड़े पैमाने पर कार्य कराये जायें।
६. पारम्परिक खाद का उपयोग किया जाये।
७. बागवानी को बढ़ावा दिया जाये।
८. भूमि क्षरण रोकने के उपाय किये जायें। फलदार वृक्षों को बढ़ावा दिया जाये।
९. भूमि उपचार की व्यवस्था किया जाये।
१०. व्यावसायिक खेती के प्रयास किये जायें।
११. किसानों की उत्पादित जीन्सों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाये और बेंचने की पूरी छूट मिले।
१२. योजनाओं में बिचौलियों को दूर रखा जाये।
१३. जनपद में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की जाये तथा खाद के लिए रैक प्वाइन्ट बनाया जाये।
१४. अन्ना प्रथा की रीति बन्द की जानी चाहिए।
१५. जंगली पशु वनरोझ, नील गाय खेतों में न जा पायें इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को दी जाये।
१६. ज्यादा से ज्यादा किसानों को उन्नति बीज उपलब्ध करायें जायें।
१७. किसानों की सुविधानुसार चकबन्दी कराकर नये कार्य स्थापित किये जायें।
१८. बंजर एवं ऊसर भूमि को समाप्त करने के प्रयास हों।
१९. जीरो बजट खेती उद्यानिक खेती के साथ ही यौगिक खेती का प्रचार–प्रसार हो।
२०. जनपद में सब्जी एवं बागवानी की बहुत सम्भावनायें हैं, आंवला, अमरुद, बेल, बेर, नीबू वर्गी फलों को बढ़ावा दिया जाये।
२१. नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
२२. जैविक खेती को बढ़ावा देना।
२३. यू०एन०डी०पी० (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) द्वारा जनपद के चित्रकूट ब्लाक में संचालित हो चुके सवेरा कार्यक्रम को जनपद के प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने के प्रयास।
२४. प्रत्येक गाँव में भूमिहीन/गरीब लोगों के किसान बचत समूहों का गठन व उनका दिशा निर्देशन।
२५. प्रत्येक गाँव में गरीबी रेखा के नीचे के कृषकों हेतु अन्न एवं बीज बैंकों की स्थापना।
२६. महिलाओं की कृषक के रूप में पहचान स्थापित करानें के परिणामदायक प्रयास, क्योंकि कृषि का ७५ प्रतिशत से ज्यादा कार्य महिलाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है।
२७. पक्के जल निकासी का पुन: सर्वेक्षण कर निर्माण कराया जाये।
२८. बीज और कीटनाशक दवायें जो ब्लाक में वितरित होती हैं उसे दलालों से चंगुल से हटाकर सीधे गाँव में बांटी जाय।

२९. गांवों में खेती के आवश्यक यंत्र कांटादार पाटा आदि पुन: वितरित किये जाये।
३०. समतलीकरण की योजना सामान्य रूप से लागू की जाए और हर स्तर के किसानों की भूमि बराबर की जाये।
३१. किसानों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
३२. जनपद के मुख्य कृषि उत्पादों (फसलों) से सम्बन्धित छोटे–छोटे उद्योग विकसित किए जायें।
३३. कृषि की उचित जानकारी हेतु जनपद के कई प्रक्षेत्रों में ''कृषि–विज्ञान केन्द्रों'' की स्थापना की जाएँ।
३४. उर्वरक बीज तथा कृषि लागत हेतु पूँजी की समय पर व्यवस्था करानां
३५. राजापुर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन उन्नतशील का है अत: गन्ने मिल की आवश्यकता है। किसानों को उन्नत किस्म की कोल्हू की आवश्यकता है।
३६. कृषि उपज के रख–रखाव व उचित मूल्यों कें यंत्र विक्रय के लिए उन्नत ढंग की मण्डी प्रणाली विकसित की जाए।
३७. लघु डेरी उद्योगों की विभिन्न मुहल्ले, प्रक्षेत्रों में स्थापित की जाए जिससे किसानों को उचित मात्रा में आय स्रोत का अवसर मिलें।
३८. सहकारी खेती के नाम पर बनी समितियों को भंग कर सभी किसानों की भूमि वापस दिलवाकर उन्हें खेती से जोड़ा जाए।
३९. चकबन्दी के नाम पर गरीबों की छीनी जा रही अच्छी कृषि भूमि को हड़पने से बचाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जाए।
४०. चकबन्दी की धीमी प्रक्रिया से गरीब बिना जानकरी के परेशान हो रहे हैं इसे समय सीमा में बांधा जाए।
४१. हर गाँव में एक किसान मिल के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति हो।
४२. रासायनिक खाद का प्रयोग लगभग बन्द हो।
४३. जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
४४. क्रापिंग सिस्टम के बजाय फार्मिंग सिस्टम आधारित कृषि की जाये।
४५. औद्योगिक वनस्पतियों के उत्पादन को बढ़ावां
४६. छोटे–छोटे चक को सहकारिता के स्तर पर संयुक्त पैदावार के लिए समतल किये जायें।
४७. फसल बीमा योजना भी लागू किया जाना उचित होगा।
४८. सहकारी बैंकों एवं अन्य निकायों से मिलने वाले फसली ऋण सुविधा को बिना बिचौलियों के किसानों तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएं
४९. कृषि यंत्रों आदि हेतु मिलने वाली ऋण सुविधा की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए।
५०. दलहन व तिलहन की पैदावार हेतु प्रोत्साहन व जानकारी देना।
५१. प्रत्येक गाँव के भूमि की गुणवत्ता अनुसार मॉडल खेती (उन्नत खेती) का कम से कम एक प्रारुप कृषक तैयार किया जाए।
५२. एक उन्नत खेती का मॉडल तैयार कर प्रचार–प्रसार कर अधिकतम लोगों को दिखाया जाए।
५३. शासकीय सेवकों (कृषि से संबंधित) का सघन सम्पर्क किसानों तक जन प्रतिनिधियों द्वारा सुनिश्चित हो।
५४. जनपद की जलवायु के अनुरूप बीजों की खोज व आपूर्ति।
५५. गोवंश को बढ़ाने हेतु ठोस उपायं
५६. किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा।
५७. विभिन्न सरकारी योजनाओं को किसान तक पहुँचाने का सुलभ रास्ता।
५८. आसान शर्तो पर कृषि निवेश की उपलब्धता।
५९. कृषक क्लबों का गठन एवं प्रभावी क्रियान्ययन।
६०. भूमि समतल की जाए।
६१. नकदी फसलों का उत्पादन किया जायें

६२. खेतों में मेडबन्दी कराना अनिवार्य किया जाए।

६३. कृषि उपज को लाभकारी मूल्य तथा वायदा कारोबार से दूर रखा जाए। कृषि प्रबंधन में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दखल रोका जाए। राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई जाए।

६४. किसानों की कार्यशाला आयोजित की जाये।

६५. कुशल कृषि विशेषज्ञों व कृषि इन्जीनियरस के माध्यम से कृषि सम्बन्धी जानकरी दी जाये.।

६६. लघु सीमान्त कृषकों की जोत सीमा ५ हे० से बढ़ाकर १० हे० किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ की अधिकतर जमीन कम पैदावार वाली है।

६७. शून्य लागत या न्यूनतम लागत की खेती का प्रचार क्रियान्वयन।

६८. दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा जैसी पौष्टिक तथा लाभप्रद कृषि के प्रति चाहत पैदा करना।

६९. फूल, सब्जी, फल, मशाले आदि की कृषि को प्रोत्साहन।

७०. जीवामृत, प्राकृतिक कृषि का ज्ञान विस्तार तथा व्यवहार।

७१. विनाशकारी हाईब्रोड से किसानों को बचाना, देशी बीज के प्रति लगाव पैदा करना अवलोकनार्थ प्रत्येक ब्लाक से जागरूकत किसानों का दल जाना चाहिए, वहाँ से प्राप्त अनुभवों को जिले के किसानों के साथ बांटना चाहिए।

७२. बहुराष्ट्रीय तथा बड़ी कम्पनियों के कृषि तथा किसानों विरोधी प्रयासों से जिले को बचाना चाहिए।

७३. बूंद–बूंद जल का स्थान–स्थान पर संरक्षण।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.

(तीन)

३. भूमि विसंगतियों के समाधान तथा भूमि सुधार के बारे में करणीय सटीक सुझाव—

१. भूमि उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण कर भूमि उपचार किया जाना।
२. समोच्च रेखीय/फील्ड वंडिंग, सीमान्त बांध, पेरीफेरल बांध, समतली करण एवं जल भराव व जल संचय बन्धियों के निर्माण किया जाना एवं कृषि वानिकी, उद्यानीकरण चारागाहों का विकास/निर्माण किया जाना।
३. गाँव में समितियाँ बनायी जायें जो विसगंतियों को दूर करें।
४. गरीब तबके द्वारा काबिज जमीन पर उसी नम्बरान व प्लाट का वही नक्शा तरमीम कर उसे सरकारी कागजात उपलब्ध करवाना।
५. लम्बित वाद की सुनवायी अविलम्ब करवायी जाए जिससे भूमि सम्बन्धी वादों का निपटारा जल्द हो सके।
६. भूमि सुधार की प्रक्रिया में जमीन का समान बटवारा सुनिश्चित हो।
७. पहली जरुरत गरीब परिवारों में यथावत भूमि वितरण होना चाहिए।
८. अनुत्पादक, खराब जमीनों को कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभागों को देकर उपजाऊ बनाया जाए।
९. भूमि के समतलीकरण हेतु और साधन उपलब्ध हों।
१०. ऊषर भूमि सुधार योजना में विशेष ध्यान देना चाहिए।
११. आबादी के अनुसार कृषि पर आधारित लोगों की संख्या बढ़ रही है। बटवारे के बाद जमीन की मात्रा कम हो रही है इसीलिए पलायन हो रहा है। जमीनों के अभावों के निस्तारण के लिए कोई ज्यादा समय दें।
१२. सेटेलाइट सर्वे के द्वारा भूमि का चिन्हांकन अनिवार्य किया जाए।
१३. अवैध कब्जों को शक्ति के साथ हटाया जाए।
१४. कम्प्यूटराइज्ड खतौनियों के अनिवार्यत: लागू किया जाए।
१५. ग्राम समाज या सरकारी भूमि का रेखाकंन/सीमाकंन सुनिश्चित किया जाए और उस पर से अतिक्रमण हटाया जाए।
१६. भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करवाना।
१७. सरकार द्वार हदबन्दी की नई सीमा तय की जाए।
१८. भूमि हदबन्दी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन गरीबों में निष्पक्षता से बांटना।
१९. मंदिरों तथा मठों के नाम की भूमि की भी समय सीमा तक किया जाना चाहिए।
२०. बेनामी सम्पत्तियों की जाँच करके दस्तावेजीकरण किया जाए।
२१. अकृषिक भूमि तथा सीलिंग एक्ट से निकली भूमि के दस्तावेज, राजस्व अभिलेख सुधारे जाए। सामाजिक संरचना के आधार पर भूमि सुधार की नीति तैयार हो।
२२. गरीबों की भूमिधरी ठीक रीति से नापकर उनको अधिकार देना।
२३. जितने क्षेत्र का पट्टा हुअ है, उतना क्षेत्र उस परिवार को मिले।
२४. बटा तरमीम होना ही चाहिए।
२५. बांधो की खाली भूमि केवल भूमिहीन अथवा छोटे किसान ही पावें।
२६. ग्राम समाज की भूमि भूस्वामियों से मुक्त कराकर भूमि हीनों में पट्टा।
२७. फर्जी नामों के आधार पर अपनाई गई भूमि को मुक्त कराना होगा।

....

....

....

(चार)

४. जनपद के शैक्षणिक विकास के लिए सबसे आवश्यक कार्य ये कराये जाने चाहिए–

१. अति पिछड़ा होने के कारण हाईस्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य किया जाए।
२. शिक्षा का व्यावसायिकरण न होकर व्यावसायिक शिक्षा के अवसर दिये जायें।
३. व्यावसायिक शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये जायें।
४. उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के केन्द्र ज्यादा तादाद में खोले जाएं।
५. प्राथमिक विद्यालयों के चयनित अध्यापक स्थानीय स्तर पर होना चाहिए।
६. प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुश्रवण कमेटियों का गठन।
७. अध्यापकों को उनके कार्य के आधार पर उन्हें दण्ड या पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए।
८. सरकारी तौर पर समन्वयक कर चित्रकूट में स्थिति मठ/मन्दिर अखाड़ों के माध्यम से निर्धन/पिछड़े वर्ग के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
९. बालिका शिक्षा के लिए समुचित उपाय एवं जनजागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है।
१०. इण्डिट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट पोलीटेकनिक कालेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता।
११. शिक्षक व शिक्षार्थी का समुचित अनुपात होना चाहिए। बच्चों को कुशल बनाने पर जोर दिया जाये न कि अधिक अंक लाने में।
१२. चुनाव ड्यूटी, सर्वेक्षण कार्य, पोलियो ड्यूटी जैसे कार्य शिक्षकों से न कराये जायें।
१३. प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की मानीटरिंग की एक सचल दस्ते से करवानी चाहिए।
१४. बच्चों के पठन पाठन हेतु ग्रामीण स्तर पर लाइब्रेरियों/पुस्तकालयों की व्यवस्था।
१५. तकनीकी शिक्षा हेतु इन्जिनियरिंग, मेडिकल एवं कृषि से सम्बन्धित विद्यालय खोले जाएं।
१६. दसवीं कक्षा तक की शिक्षा नि:शुल्क तथा व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
१७. बालिका शिक्षा के लिए जनपद में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज खोजा जाए।
१८. गाँवों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना चाहिए।
१९. जिले में इन्जिनियरिंग कालेज तथा मेडिकल कालेज खोलना उचित होगा।
२०. बालकों के लिए एवं बालिकाओं के लिए डिग्री कालेजों की कमी को पूरा करने के लिए और प्रयास किये जायें।
२१. माध्यमिक स्तर पर कोई भी बच्चा फेल न होगा, सरकार की इस नीति का विरोध क्योंकि इससे बुनियादी नीव कमजोर हो रही है।
२२. सरकारी/गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के संचालन में मानकों के अनुरुप निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु समिति का गठन जिसमें शिक्षा विभाग, सरकारी अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के अलावा बुद्धजीवियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अवश्य शामिल किया जाए एवं समिति को सक्रिय करने के प्रयास।
२३. गठित मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हो, जिससे प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकें।
२४. जून, जुलाई माह में प्रत्येक गाँव में नामांकन अभियान व लगभग सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करानां
२५. हमारी शिक्षा अभी भी अंग्रेजी शासन के कुछ उदाहरणों पर चल रही है, जैसे वर्ष में २० मई से ३० जून तक अवकाश। हम लोगों के अनुभवों के आधार पर इन दिनों कृषि में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता, हमारे विद्यालयों में नामाकिंत छात्र अपने माता–पिता के कृषि सहयोग हेतु विद्यालयों ज्यादातर अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहना भी

तर्क संगत है, क्योंकि उनकी जीविका मुख्यत: कृषि पर ही आधारित है। अत: ग्रीष्म कालीन अवकाश की जगह कृषि कार्य की अधिकता वाले समय में अवकाश को परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे ५० प्रतिशत अनुपस्थित पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

२६. जनपद मुख्यालय स्थिति सभी शिक्षण संस्थानों में चल रहे विवादों का शासन द्वारा तुरन्त निस्तारण किया जाए, जिससे वहाँ शैक्षिक माहौन बन सके।

२७. सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएं, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए।

२८. जनपद के विभिन्न प्रक्षेत्रों में और अधिक (कम से कम ५) ''समाज कल्याण छात्रावासों'' की संख्या बढ़ाई जाएँ।

२९. जन संचार व्यवस्था की राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क स्थापित किया जाना सख्त जरूरी है क्योंकि मीडिया समाज की अनौपचारिक शिक्षिका।

३०. अनिवार्य शिक्षा लागू हो। गरीबों को मुफ्त में शिक्षा मिले परन्तु बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने वाले अभिभावकों पर दण्ड का भी प्राविधान हो।

३१. प्रत्येक चार प्राइमरी स्कूलों पर एक जूनियर स्कूल बच्चों की पहुँच स्थल में होना चाहिए।

३२. हर स्कुल में ४० बच्चों पर एक अध्यापक होना सुनिश्चित हो।

३३. गलत प्रमाण पत्र से नियुक्त शिक्षा मित्र हटाये जाएं जो पूर्ण अयोगय हैं।

३४. सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय व इण्टर कालेजों में शिक्षकों की पूर्ति की जाए और विद्यालयों को टूटने से बचाया जाए।

३५. विद्यालय में प्रत्येक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति हो।

३६. प्राथमिक विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाए, शिक्षक लापरवाही से ड्यूडी करते हैं।

३७. बेसिक शिक्षा की भांति माध्यमिक शिक्षा भी सरकार अपने हाथों में ले।

३८. मानिटरिंग सेल गठन हो जो उड़न दस्ते की तर्ज पर काम करें।

३९. सत्यता जांच पर संबंधित शिक्षक या प्रबन्धन पर कठोर कार्यवाई हो।

४०. प्राथमिक एवं जूनियर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पुराने रिटायर्ड (टीचर, अधिकारियों) का नियंत्रण हो।

४१. रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

४२. विद्यालयों के निर्माण कार्य से शिक्षकों को अलग रखा जाए, जनपद स्तर पर यह कार्य अन्य किसी एजेन्सी को दिया जाए।

४३. तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा के लिए संस्थान खोले जाएं।

४४. सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से अन्य काम न लिये जाएं।

४५. जनपद के सभी अधिकारी–कर्मचारी एवं जन प्रतिनिधियों के बच्चों का अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित किया जाए।

४६. विद्यालय के उत्कृष्ट छात्रों द्वारा आस–पास के स्कूलों में साप्ताहित कक्षायें आयोजित की जाए।

४७. नैतिक शिक्षा के भी पाठ्यक्रम हर विद्यालय में चलाकर मानवीयता विकसित करना।

४८. आधुनिक शिक्षा यथा कम्प्यूटर आदि हर विद्यालयों में अनिवार्य करना।

४९. शैक्षिक जनजागरूकता का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं शिक्षा मित्र के माध्यम से कराया जाये।

५०. शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में पहले से चालू सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ मजबूती के साथ लागू किया जाए।

५१. अध्यापकों की नियुक्ति बच्चों के अनुसार हो तथा निरन्तर निगरानी आवश्यक है।

५२. नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए।

५३. अधिकारियों को विद्यालय का निरीक्षण समय–समय पर करके उसकी आख्या सरकार को भेजना चाहिए।

५४. कोचिंग सेण्टरों को समाप्त किया जाए।

५५. सभी शिक्षक संघों के उच्चस्तरीय प्रेरणास्पद वार्ता। वार्ता के निर्णयों का क्रियान्यवन, मूल्यांकन।

५६. गाँव–गाँव में शिशु वाटिकाओं का संजाल। एक शिशु वाटिका में ३० शिशु (४ वर्ष से ७ वर्ष तक) इसका संचालन गाँव की १०वीं १२वीं उत्तीर्ण महिला या अविवाहित लड़की करें। स्वयं सेवी संगठन इनका प्रबन्धन देखें। इनका व्यय भार विधायक, सांसद अपनी निधि से उठाएं, इसकी अनुमति प्राप्त करें। प्रयोग का परिणाम देख इसे पेश करें। प्रारम्भ में प्रत्येक ब्लाक में ५–५ ग्राम पंचायत को लें। सहज, सरल, प्रेरणास्पद विधि से बच्चों की नीव मजबूती का प्रयास हो ताकि आगे की शिक्षा–संस्कार में वे तेजी से गतिमान हो सकें।

५७. गाँव–गाँव में अभिभावक संघ तथा समय–समय पर उनके विचारों को वरीयता उनकी सक्रिय सहभागिता, उनमें जागरूता ताकि वे प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करें।

५८. अच्छे शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान।

५९. आंगन वाडियों की उपयोगिता को बढ़ाया, बनाया जाना चाहिएं

....
....
....
....
....
....
.....

(पांच)

५. जनपद के ठोस आर्थिक विकास के लिए हमारी दृष्टि से विशेष प्रस्ताव निम्नवत हैं—

१. बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री प्रारम्भ होनी चाहिए। जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा।
२. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष लम्बी दूरी की नयी ट्रेनों का परिचालन।
३. स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता न्यूनतम ब्याज दर में उपलब्ध कराया जाये।
४. कृषि उद्योग, दुग्ध उद्योग तथा व्यापार हेतु इच्छुक युवक—युवतियों को परामर्श व शासन की नीतियों की जानकारी प्रदान करना।
५. कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए बाजार की सुविधाएं दी जाएं।
६. ऐच्छिक आधार पर कान्ट्रेक्ट फारमिंग योजना चालू की जाए।
७. सिलिका सैण्ड अधिक होने के कारण कांच बनाने की फैक्ट्री हो।
८. सीमेण्ट, चूना, खडिया जनपद में तैयार करने की योजना बने।
९. चावल, लकड़ी व पत्थर का कारखाना स्थापित हो।
१०. व्यर्थ पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए।
११. जंगलों व अनुपजाऊ जमीन पर फलदार वृक्षों को लगाया जाए।
१२. जनपद में ग्रामीण उद्योग व व्यवसायिक तथा औद्योगिक संस्थान खोले जाएं।
१३. परिवार नियोजन का कार्यक्रम ''चीन देश'' की तरह अपनाया जाए।
१४. जिले के बैंकों व उनमें नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारियों को आमजनों के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। उद्योग धन्धों से सम्बन्धित ऋण आदि की प्रक्रिया सरल बनें।
१५. तेन्दू पत्ता से बीड़ी बनाये जाने का उद्योग जनपद में ही खोला जाये।
१६. आंवला का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होने से व्यवसाय मुरब्बा आदि बनाने के लिए मध्यम लघु किस्म के औद्योगिक प्रतिस्ठानों को स्थापित किया जाये।
१७. संचार व्यवस्था का विकास जनपद के रिमोट क्षेत्रों में किया जाए जिससे कच्चा माल औद्योगिक केन्दों तक पहुंचाया जाये।
१८. यहाँ पर ग्रेनाइट पर्याप्त मात्रा है है। इस पर आधारित क्रेशर माइनर के अलावा अन्य उद्योगों को भी लगाना चाहिए।
१९. वन अधिनियम के कारण बन्द ग्रेनाइट तथा बाक्साइड खदानें जहाँ पर बन पर्याप्त नही है, केन्द्र व प्रदेश सरकार पहल कर शुरू करायें।
२०. जनपद की खदानों, पहाड़ों एवं जंगलों को माफियाओं के चंगुल से प्राकृतिक संसाधनों का दुर्दोहन से रोका जाए।
२१. जंगलों में उपलब्ध औषधियों का संचायन करने की व्यवस्था हो।
२२. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा हो।
२३. प्रत्येक गाँव को सड़क, बिजली, पानी से जोड़ा जाना चाहिए।
२४. कृषि विकास, पशुधन विकास, खनिज विकास के लिये कार्यनीति बने।
२५. तेन्दू पत्ता तथा उससे जुड़े श्रमिकों के लिए एक ठोस नीति बनाई जाय।
२६. वनोपज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दिया जाए।
२७. तिलहन, दलहन जैसी कृषि उपज के लिये जिले में ही संसाधन उपलब्ध कराये जाय।
२८. जड़ी बूटी संग्रहालय की स्थापनां
२९. विद्युत प्लान्ट लगे।
३०. लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेत शासन द्वारा कोष का आवंटन किया जाए।

३१. नरेगा की उचित तरीके से निगरानी की जाए तथा पात्रों को ही काम मिलें।
३२. चित्रकूट क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के अनुरूप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये।
३३. नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए जिनमें छोटे—छोटे प्रशिक्षण जैसे — मोटर बांइडिंग, मोमबत्ती निर्माण, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रानिक आदि के प्रशिक्षण दिये जायें।
३४. चित्रकूट को बड़े स्टेशन या पर्यटक स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
३५. विदेशी एवं देशी पर्यटकों को उच्च कोटि की परिवहन व्यवस्था करनी करनी चाहिए।
३६. सब्जी तैयार करने हेतु जलाशयों के पास खेती करने वालो को विशेष सुविधाएं दिलाया जाये।
३७. कृषि से जुड़े उद्योग खोले जाएं।
३८. छोटे कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान।
३९. वन व खनिज से लगने वाले उद्योग को बढ़ावा।
४०. कम से कम एक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किया जना उचित है।
४१. पर्यटन की दृष्टि से (खासकर धार्मिक) प्रयोजन हेतु एक रोड मैप राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करवाना।
४२. मुर्गी पालन, सुअर पालन व अन्य मवेशी पालन को बढ़ावा।
४३. काष्ठ उद्योग से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पियों को आवश्यक मार्केटिंग सुविधा के साथ सरकारी प्रोत्साहन (सहज ऋण सुविधा आदि) उपलब्ध कराया जाए।
४४. कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला से जुड़े लोगों को विशेष आर्थिक पैकेज अथवा सरकारी प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

४५. जल संचयन—वन क्षेत्र सहित।
४६. वन, बागों का विस्तार, बांस के वन निजी खेतों पर बांस उद्योग।
४७. वनों की रक्षा, वन औषधियों का वनो में रोपण तथा संकलन।
४८. श्रेष्ठ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, सघन प्रशिक्षण।

....
....
....
....
....
....
....
....
....

(छह)

६. आजीविका संवर्द्धन एवं रोज़गार मूलक कुछ ऐसे कार्य अवश्य कराये जाने चाहिए—

१. वन आधारित उद्यमों के उद्यमियों को तैयार करना।
२. कुशल कारीगर, मिस्त्री, कारपेन्टर आदि को प्रशिक्षित करना।
३. डेरी उद्योग का विकास किया जाये।
४. दोना—पत्तल, डलिया, रस्सी बनाने के लघु उद्योग स्थापित किए जाएं।
५. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम चलाये जायें।
६. जड़ी बूटियों को निकालकर व्यवसाय करने के लिए खुली छूट मिलना।
७. छोटे किसानों को ककरीली—पथरीली भूमि पर लीज बनवाने की सस्ती व्यवस्था उपलब्ध करवाई जावे।
८. गाँवों के छोटे—छोटे उत्पादन को महत्व देकर उचित मूल्य उपलब्ध करवाया जाए।
९. प्रत्येक मजदूर को उसके जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा की भांति किया जावे। उसके मरने के बाद उसके बच्चों के पालन पोषण की गारण्टी हो।
१०. बकरी और भैंस पालकों की जान का खतरा है पाठा में व्याप्त इस विसंगति को दूर किया जाए।
११. अगरबत्ती, मोमबत्ती, पापड, चिप्स, अचार, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण व निर्मित वस्तुओं के खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
१२. स्थानीय क्षमता आधारित रोजगार में प्रशिक्षण दिया जाए। गुजरात माडल अपनाया जाये।
१३. नरेगा का ईमानदारी से पालन कराया जाय तथा ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण एवं जन जागरण कार्यक्रम चलाये जाऐं।
१४. जड़ी—बूटी के लिये इच्छुक नव युवकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाए तथा उन्हें अवसर उपलब्ध कराये जाए।
१५. बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री को चालू कराने के लिए समाज के प्रत्येक स्तर से निर्णायक आंदोलन।
१६. मनरेगा का मानकों के अनुरुप संचालन में हस्ताक्षेप।
१७. मनरेगा योजना में कार्य दिवसों की संख्या १०० से बढ़ाकर २०० दिन करनी चाहिए।
१८. हर ब्लाक स्तर पर स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र प्रभावी ढंग से शुरू करना चाहिए।
१९. पशु—पालक पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
२०. कुक्कट पालन आदि के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम अवधि तय कर लाभ दिया जाये।
२१. न्याय पंचायत स्तरों में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना हो।
२२. बड़े पैमाने पर सब्जी व औषधीय कृषि उत्पादन व विषणन का सरकारी स्तर पर समुचित प्रबन्धन हो।
२३. समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से फल संरक्षण एवं प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना।
२४. पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण एवं परिचय पत्र देकर तीर्थ यात्रियों को चित्रकूट भ्रमण का एक नया रोजगार सृजन कर बेरोजगार युवकों को स्वावलम्बी बनाना।
२५. अन्न प्रशोधन, आंवला, अमरूद, टमाटर आधारित लघु उद्योग।
२६. फूलों की खेती, चना, भथुवा, मेथी, पालक, मकोय आदि की शुष्क पैंकिंग , मार्कटिंग, गोआधारित घृत, मूत्र, गोबर खाद आदि। तुलसी वन, माला बीज पत्ती आधारित उद्यम।

....

....

....

....

(सात)

७. समूचे जनपद में पर्यटकीय विकास की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये कार्य कराये ही जाने चाहिए—

१. प्रशिक्षित गाइड तैयार किए जायें।
२. बड़े पैमाने पर उपलब्ध पर्यटन स्थलों व सड़के बनाएं जाएं।
३. विभिन्न मौसमों के अनुसार सस्ती दरों पर ठहरने की सुविधा प्रदान करें, क्षेत्र को विश्व पर्यटन मानचित्र में शामिल कराएं।
४. रानीपुर वन्य जंतु विहार का नए ढंग से कायाकल्प कराएं।
५. पाठा क्षेत्र में जिस हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा है उसे अविलम्ब पूरा किया जाये जिससे देशी, विदेशी पर्यटनों की संख्या बढ़ेगी।
६. पर्यटन विभाग से जो पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं उसमें चित्रकूट का नाम एवं नक्सा संलग्न किया जाये।
७. चित्रकूट परिक्षेत्र चौरासी कोस में विस्तृत रूप से फैला है। यहाँ पर सैकड़ो पुराने मंदिर, पुरातात्विक महत्व के स्मारक, शैलचित्र, झरने, तालाब, कुयें, बाबडियां, जंगल, आश्रम इत्यादि हैं इन्हें मुख्य मार्गो से जोड़कर बिजली, पानी, सुरक्षा की गारण्टी देकर पर्यटकों के लिए स्थापित किया जा सकता है।
८. ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों का रख—रखाव में केन्द्रीय सरकार का भी सहयोग हो।
९. राजापुर के पुल का निर्माण अति शीघ्र हो।
१०. मंहगे टूरिस्ट बंगलों की सुविधा के साथ ही सस्ते टूरिस्ट आवास का होना ।
११. हनुमान धारा, राजापुर, लालापुर, चित्रकूट स्थलों में नागरिक सुविधाओं की वृद्धि हो। हनुमान धारा, लक्ष्मण पहाड़ी में रोप वे हवाई पट्टी का निर्माण हो।
१२. रेलवे की दोहरी लाइन की व्यवस्था हो क्योंकि आवागमन विकास सर्वप्रथम जरूरी है। ।
१३. देश के हर क्षेत्र को चित्रकूट से जोड़ने का प्रायस हो।
१४. होटलों का विकास व धर्मशालाओं का सुन्दरीकरण हो।
१५. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी स्थलों को प्रदूषण से मुक्त कराया जाना चाहिए।
१६. प्रमुख चौराहों पर बोर्ड द्वारा स्थित सभी तीर्थस्थानों की दूरी व दिशा संकेत दिए जायें।
१७. चित्रकूट में बहुप्रतीक्षित रोड़वेज डिपों का रुकना।
१८. कामदगिरी पर्वत की तरफ हुये अवैध निर्माण को हटाया जाए।
२०. सड़कों के किनारे भगवान राम पर आधारित मूर्तियों को चौराहों पर लगाया जाए।
२१. शबरी जल प्रपात, गणेश बाग, कालींजर आदि का विकास किया जाए।
२२. पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख तीर्थो का विवरण स्टेशन, बस स्टैण्ड पर लगाया जाये।
२३. चित्रकूट के १५० तीर्थ स्थान जो लुप्त या गुप्त है उ०प्र०, म०प्र० में है उन्हें चिन्हित किया जाए।
२४. सांकेतिक पटों का विस्तारपूर्ण व्यवस्था एवं उचित स्थान का चयन।
२५. श्री बाल्मीकि आश्रम लालापुर को रिजर्व फारेस्ट की बाधाओं से मुक्त कर परिक्रमा मार्ग—स्मारक निर्माण की प्राथमिकता दी जाए।
२६. चित्रकूट को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर जगह मिले।
२७. जनपद के विभिन्न तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाला एक मार्ग।
२८. चित्रकूट को विमान पत्तन की सुविधाएं दी जाए।
२९. पर्यटन स्थलों की आय का कुछ हिस्सा निकटतम पंचायत को प्रदान किया जाए।

३०. परिवहन सुविधाओं का विस्तार, सिटी बस संचालित की जाएं। कम से कम चार सिटी बसों का संचालन कर्वी बस स्टैण्ड से कराया जाये जो सभी महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल तक जाये।

३१. अयोध्या से चित्रकूट बस चलनी चाहिए बीच में कई तीर्थ स्थान हैं।

३२. केन्द्रीय पर्यटन विभाग की सूची में चित्रकूट का नाम होना चाहिए।

३३. यात्रियों के विकास हेतु सुविधाजनक आवास ही व्यवस्था।

३४. शुलभ शौंचालयों की पर्याप्त व्यवस्था हो।

३५. रानीपुर सेन्चुरी को कान्हा उद्यान, दुधवा तथा अन्य की तरह विकसित करना।

३६. चित्रकूट रेलवे स्टेशन विकास के साथ ही शिवरामपुर, खोह, भरतकूप, मानिकपुर में भी उच्च श्रेणी की सुविधाएं आवश्यक हैं।

३७. जंगलों में स्थिति जातियों का पुनर्वास कराके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए।

३८. प्राकृतिक सुषमा बढ़ाने वाले स्थलों को चिन्हित करके वहाँ पर यात्रियों के ठहरने व सुरक्षा का इंतजाम।

३९. यू०पी० सीमा को चित्रकूट में फ्री जोन करना चाहिए।

४०. चित्रकूट को विद्युत कटौती से पूर्णतया मुक्ति देना चाहिए।

४१. केन्द्र सरकार तथा उ०प्र० एवं म०प्र० शासन द्वारा विशेष पैकेज विकास के लिए स्वीकृत करना चाहिए।

४२. पर्यावरण को नष्ट किये बिना पुरातत्व से जुड़े स्थलों को विकसित करके उन्हें राष्ट्रीय पैमाने पर स्थापित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार किया जाए।

४३. सामाजिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर जनपद में पर्यटन की नीति तैयार करके रोजगार पकर बनाया जाए।

४४. हवाई अड्डे बने, ट्रेनों की संख्या बढ़ाया जाय।

४५. पण्डा पुजारियों के हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए।

४६. चित्रकूट को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में नाम अंकित के प्रयास जिससे पर्यटक स्थल के रूप में मिलने वाली सहायता प्राप्त हो सके।

४७. पर्यटक स्थलों के प्राकृतिक सौन्दर्य से छेड़—छाड़ न की जाए।

४८. शहर सुन्दरीकरण, क्योंकि पर्यटक आते ही मुख्यालय पहुँचता है। मुख्याल का सुन्दरीकरण अति आवश्यक है।

४९. संचार एवं यातायात व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

५०. हर वर्ष जंगलों में लगने वाली आग को रोककर वनों की सुंदरता बनाए रखें।

५१. आग से मरने वाले पशु—पक्षियों और जड़ी—बूटियों को बचाने की गारण्टी हो।

५२. पहाड़ों को खनिज के नाम पर समाप्त किया जा रहा है इसे बन्द कराया जाए।

५३. समाप्त हो रही नदियों, प्रपातों की जल—धारण क्षमता बढ़ाकर बचाया जाए।

५४. पर्यटकीय स्थलों में पण्डागिरी समाप्त कर सरकारी व्यवस्था स्थापित की जाएं

५५. ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण एवं शिलालेखों का विकास।

५६. पशु वन बिहार, पक्षियों के बिहार के विस्तार व सृजन किया जाना।

५७. औषधीय पर्यटन का विकास भी किया जाना अति आवश्यक है।

५८. पर्यटन के दुलर्भ व विरासत के महत्व के स्थानों का विवरण आकर्षक—प्रारूप पर प्रकाशित किया जाए।

५९. राघव जल प्रपात, शबरी जल प्रपात, वेधक कुण्ड, अमरावती आश्रम, मारकण्डेय आश्रम, परानू बाबा, तुलसी आश्रम राजापुर, कर्का आश्रम हनुमानगंज आदि रमणीय स्थानों का सौन्दरीकरण कराना।

६०. चिडिया घर का निर्माण हो तथा रानीपुर अभयारण्य का विकास हो।

६१. सड़कों को चौड़ीकरण हो तथा उनमें डिवाइडर के साथ साथ चौड़ी पट्टी व वृक्षारोपण हो।

६२. सुन्दर नगर के विकास के लिए आवास विकास प्राधिकरण द्वारा प्लांट व कालोनी आवंटन हो।

६३. पर्यटक स्थलों पर टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टैण्ड हो ताकि सड़कों में अव्यवस्था न हो।

६४. मधुनिकेतन कर्वी से प्रमोदवन तक जलपथ—सुसज्जित यंत्र चालित नौकाएं।

६५. मंदाकिनी तटों की फूल—फल युक्त वृक्षों की शोभा का प्रबन्ध।

६६. मंदाकिनी के तटों तथा तल की गहराई – सफाई, जगह—जगह पर टीलों में चबूतरें।

६७. अमरावती, मार्कण्डय आश्रम, धारकुण्डी, शबरी प्रपात, राघव प्रपात, विराध कुण्ड, बेधक, ऋषियन, रज्ञौंहा, परासिन किला, देवांगना घाटी, देवागना घाटी सूर्यास्त दर्शन आदि स्थानों तक सहज सुरक्षित मार्ग व्यवस्था यात्रा प्रबन्ध।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(आठ)

८. चित्रकूट जनपद का विधिवत सांस्कृतिक विकास ऐसे प्रयोगों से ही संभव होगा—

१. चित्रकूट सांस्कृतिक परिषद का गठन, पाठा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो।
२. चित्रकूट महोत्सव का आयोजन पुनः हो।
३. समाज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित लोक लय उत्सव जैसे आयोजनों को प्रोत्साहन मिलें।
४. शिल्प उत्सव जैसे कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को स्थान मिलें।
५. कृषि मेला हर वर्ष हो।
६. सांस्कृति कार्यक्रम (आल्हा, कोल्हाई, राई आदि) पर फिल्म बनायी जाए।
७. मकानों (नये) के ब्लू प्रिन्ट चित्रकूट की विरासत के अनुरूप ही स्वीकृत किये जाएं।
८. सांस्कृतिक विभूतियों का चिन्हीकरणं
९. चित्रकूट की संस्कृति को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराया जाए।
१०. जिले, प्रदेश एवं देश स्तर पर लोक कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर सृजित किया जाये।
११. बुन्देली गीतों की अनुसंधानिक प्रयोगशाला व कार्यशाला का निर्माण।
१२. ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समय—समय पर प्रतियोगितायें किया जानां।
१३. लुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षण, सम्बर्धन एवं प्रशिक्षण करके ही सांस्कृतिक विकास संभव होगा।
१४. यहाँ कोल कथाओं को प्रोत्साहन देकर इसके लिए एक सांस्कृतिक केन्द्र बनाना।
१५. विश्व रामायण मेला आयोजन करने का निश्चय होना चाहिए।
१६. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, विद्वानों के लेखों को संग्रह कर प्रकाशन किया जाए।
१७. चित्रकूट पर शोध संस्थान खोले जाएं।
१८. लोकवाद यन्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाए।
१९. तुलसी साहित्य का मंचन किया जाए।
२०. प्रेमचन्द्र साहित्य का भी मंचन किया जाए।
२१. आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना।
२२. चित्रकूट नाट्य अकादमी की स्थापना।
२३. साहित्यिक गोष्ठी में लेखकों, कवियों को प्रोत्साहन शासन स्तर से हो।
२४. उत्कृष्ट शिल्पकार जैसे गोरेलाल को विलुप्त होने से बचाना होगा।
२५. ग्रामीण सांस्कृतिक को संजोने, संवारने, सुरक्षित करने का कार्य वर्तमान में इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तेजी से होता है इसलिए चित्रकूट ही नहीं बुन्देलखण्ड की संस्कृति का एक चैनल शुरू करना चाहिए।
२६. समय—समय पर क्षेत्रीय जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजनं
२७. कवि सम्मेलनों, मुसायरो एवं महान पुरुषों की जयंती का आयोजन करना।
२८. सभी धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत, उनका आडम्बर रहित स्वस्थ प्रचार—प्रसार।
२९. लालापुर, राजापुर, भरतकूप, रसिन, मारकुण्डी आदि की सांस्कृतिक गौरव गरिमा की पुर्नस्थापना। राम लीला, कीर्तन मण्डल, महिला गायन मण्डलों को प्रोत्साहन।
३०. लोक कलाओं—कलाकारों को संरक्षण—प्रोत्साहन। चित्रकूट का गौरवशाली इतिहास लेखन। रामायण आधारित युगानुकूल नाटकों का मंचन प्रोत्साहन।
३१. चित्रकूट महोत्सव का ५ दिवसीय जन—जनप्रतिनिधि आयोजन। सरकारी अवलम्बन रहित आयोजन। पण्डा लूट से यात्रियों को बचाना।

(नौ)

९. शासन की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए ऐसे क़दम अवश्य उठाए जाने चाहिए—

१. मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन एन०जी०ओ० को दिया जाए।
२. योजनाओं में पात्रता हेतु सर्वेक्षण किया जाए उसे ही आधार बनाया जाए।
३. विचौलियों को चिन्हित करके प्रशासनिक कार्यवाही की जाए।
४. योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचे इसके लिए जरूरी है कि पात्रों का चुनाव आर्थिक स्थिति के आधार पर हो।
५. योजनाओं का लाभ गाँव में पहुँचाने के लिए कम से कम सरकारी अधिकारियों से प्रमाणित करवाना चाहिए।
६. योजनाओं से विचौलियों को दूर किया जाए।
७. कृषि विभाग में दी जाने वाली छूट का सत्यापन टास्कफोर्स समिति द्वारा किया जाये।
८. तथा कथित एन०जी०ओ० की व्यापक स्तर पर जाँच कराकर उनके द्वारा चलाये जा रहे प्रोजेक्टरों की निगरानी करवाना जिससे शासन की योजना का सही मूल्यांकन हो सके।
९. योजनाओं का धन सयम से उपलब्ध कराया जाए।
१०. जरूरतमंदों को चिन्हित किया जाए, इस सम्बन्ध में सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए एक ठोस नीति तैयार किया जाये। क्षेत्र, भाषा, जाति एवं धर्म के आधार व राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत, स्थिति आवश्यकता एवं क्षमता विकास पर आधारित हो।
११. पात्र व्यक्तियों तक सही ढंग से योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए वार्ड सदस्यों का हल्फनामा भी लें साथ ही हारे हुए किन्हीं तीन प्रधानों की संस्तुति भी लें।
१२. पंचायत की बैठक में लाभार्थियों के गाँवों से ५—५ सम्मानित व्यक्ति (अलग—अलग हों) अवश्य बुलाकर लाभार्थी की पुष्टि कर लें।
१३. लाभार्थी/कर्मचारी का भी सही जांच करने हेतु लिखित पत्र लगवाएं।
१४. लाभार्थी से सही जानकारी देने के लिए शपथ पत्र लें।
१५. ग्राम प्रधान की संस्तृति प्रत्येक योजना देने के पहले जरूर प्राप्त करें।
१६. अधिकारी अपने कामों को लगातार सार्वजनिक करें।
१७. सफल कार्यों को आदर्श के रूप में सार्वजनिक करें।
१८. गाँव—गाँव कैम्प लगाकर तत्काल आवश्यक कागजी कार्यवाही करके योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए।
१९. शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाए।
२०. बिचौलियों को चिन्हित कर दण्ड दिया जाए।
२१. योजनाओं का क्रियान्वयन गठित समितियों के निर्णय से हो।
२२. ''संचार—रथ'' का प्रयोग किया जाए। इस रथ में फोटो कापी, कम्प्यूटर, फैक्स, इत्यादि आधुनिक तन यंत्रों से सुसज्जित किया जाए, एवं जरूरत मदों को 'सशुल्क' सुविधा गाँव—गाँव पहुँचायी जाए।
२३. योजनाओं की सूचनायें बेवसाइड पर उपलब्ध करायें।
२४. शासन की मशीनरी को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए।
२५. शासन—स्तर पर शिकायती प्रकोष्ठों की स्थापना और शिकायतों का त्वरित निस्तारण।
२६. लाभार्थी सूची का प्रकाशन हर स्तर पर किया जाए।
२७. पात्रों का चयन गाँव जाकर ही खुली बैठक में किया जाये।

२८. पात्र सूची का सत्यापन समय–समय पर होता रहे।

२९. कारगर निगरानी भृष्टाचार पकड़ने वालों को सम्मान, भृष्टाचारी को दण्ड तथा सार्वजनिक धिक्कार प्रबन्ध।

३०. अच्छे कार्य करने वाले सरकारी कर्मियों, संस्थाओं को प्रोत्साहन, सामाजिक सम्मान।

३१. अच्छा कार्य करने वाले ठेकेदारों को सम्मान, उनके कार्यों का प्रकाशन। वर्ष में एक बार सार्वजनिक स्तर पर सभी विभागों स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों आदि के प्रयासों का ईमानदार प्रदर्शन तथा जनमत प्राप्त कर उनका लोक सम्मान।

३२. प्रतिवर्ष प्रत्येक ब्लाक की एक आदर्श गाँव पंचायत की खोज, उसका सम्मान।

३३. रचनात्मक लोकशक्ति की मजबूती के प्रयास तथा तन्त्र को लोकहितकारी बनाना जनप्रतिनिधियों का धर्म–कर्म।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(दस)

१०. दलित, आदिवासियों के विकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं। हमारी दृष्टि से उनका समुचित विकास तभी हो सकेगा जब कुछ ऐसे आवश्यक कार्य एवं कार्यक्रम चलाए जाएंगे—

१. दलित आदिवासियों के लिए छोटे—छोटे कुटीर उद्योग चलाने का प्रशिक्षण एवं कर्ज दिया जाये।
२. दलित आदिवासियों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
३. आदिवासियों को स्थायी आवास की व्यवस्था हो।
४. खेती के लिए जमीन उपलब्ध करवायी जाए।
५. पढ़ाई के लिए गाँव में हाईस्कूल उपलब्ध करवाया जाये।
६. बांस, बेर, महुवा, जंगली औषधियों की तोडाई के साथ उनके उत्पादों का निर्माण जंगल के क्षेत्र में ही हो इससे ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों का जीवन स्तर सुधर सकता है।
७. योजनाओं को धरातल में प्रयोग किया जा रहा है इसके लिये शतत् स्थलीय निगरानी के लिए गैर सरकारी एजेन्सी को भी लगाया जाए।
८. लाभार्थी सूची ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों को दिया जाए।
९. किए गये विकास कार्य के सम्बन्धित अभिलेख सार्वजनिक किए जाएं।
१०. ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा सदस्य को योजनाओं से लाभान्वित परिवारों के विकास कार्य के अभिलेख लेने की खुली छूट दी जावे।
११. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों के रिकार्ड ग्राम प्रधान के पास प्रति के रूप में रखे जाएं।
१२. दलित के नाम पर उसके लाभ को बड़े तबके के लोगों द्वारा आहरित करने के कारनामों में सख्ती से रोक लगायी जाए।
१३. बैंकों के कार्यों में दलित, आदिवासियों का शोषण कैसे रूके इस पर विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
१४. बड़ी योजनाओं को छोटे—छोटे टुकड़ों में बांटकर छोटी—छोटी नोडल एजेंसी से कराने के प्रयास किये जायें।
१५. क्रियान्वयन समिति में महिलाओं एवं सम्बन्धित वर्ग के लोगों को अवश्य सम्मिलित किया जाए।
१६. आदिवासियों को वन सम्पदा अधिकार का लाभ दिलाया जाना चाहिए। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिए। इसके लिए ये सुविधाएं उनके अति नजदीक पहुँचे इनकी चिन्ता किया जाना चाहिए।
१७. सभी योजनाओं की जानकारी एकल खिड़की माध्यम से संचालित किया जाए।
१८. दलितों की कल्याणकारी योजनाओं के मध्य सामान्य जाति का हस्ताक्षेप रोका जाए।
१९. सभी उच्चाधिकारियों का माह में कम से कम २ बार दौरा हो जिससे वह वहाँ के सही गलत का पता लगाएं।
२०. वन सम्पदा पर उन्हें स्वामित्व प्रदान किया जाये।
२१. दलित तथा आदिवासी छात्रों के उचित विकास हेतु विभिन्न स्थानों पर सर्वसुविधायुकत समाज कल्याण छात्रावासों की स्थापना की जाए।
२२. आदिवासियों पर होने वाले पुलिसिया जुल्म को रोका जाए।
२३. आदिवासी समाज पर चलाये जा रहे फर्जी मुकदमों की चलती—फिरती कोर्ट स्थापित करके तत्काल प्रभाव से

निराकरण किया जाए।
२४. जंगलों की उपज का हक उन्हें दें।
२५. इनके बच्चों की इण्टरमीडिएट तक शिक्षा अनिवार्य करें।
२६. इनकी शिकायतों के समाधान को अलग से सेल बनाएं।
२७. दलित व आदिवासियों की कृषि भूमि के पट्टे तथा आवासीय पट्टों में वास्तविक कब्जा दिलाया जाए।
२८. दलित आदिवासी विकास परिषद का गठन हो।
२९. दलितों एवं आदिवासियों के लिए निःशुल्क कानूनी मदद की जाए।

३०. वन में वनवासियों का हक।
३१. भूमिहीनों को पट्टा कब्जा।
३२. सरकारी ऋणभार से उन्हें बचाया जावे। अपने खेतों का सुधार, अपना गृह, कूप आदि निर्माण सरकारी धन सहायता से करें।
३३. मानिकपुर, मऊ, कर्वी, राजापुर आदि स्थानों पर ८वीं के बाद की शिक्षा हेतु निःशुल्क आवास व्यवस्था (छात्रावास) ऐसे छात्रोवासों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के हांथ।
३४. छात्राओं की शिक्षा हेतु बालिका छात्रावासों का भोजन सहित प्रबंध।
३५. तकनीकी व्यवहारिक प्रशिक्षण यथा ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, जीप, पम्पसेट, टी०बी०, मोबाइल आदि की मरम्मत। प्रशिक्षण बाद व्यवसाय हेतु अनुदान।
३६. उच्च शिक्षा हेतु सांसद, विधायक निधियों का उपयोग।
३७. वन भूमि में प्रत्येक आदिवासी परिवारों को ४ एकड़ में उपगोग का अधिकार।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(ग्यारह)

११. जनपद को सूखे से बचाव के लिए हमारे आवश्यक सुझाव—

१. छोटे—छोटे तालाब, चेकडैम निर्माण कराया जाए।
२. गहरे कूप जल योजना का लाभ कृषकों को दिया जाए।
३. छोटे व मध्यम कास्तकारों को मुफ्त बोरिंग का लाभ दिया जाए।
४. जिन किसानों के निजी बोर हैं उन्हें मुक्त बिजली दी जाए।
५. खेतों में ऊँची मेड़बन्दी कराई जाए।
६. प्रत्येक नागरिक एक हरा वृक्ष लगाए तथा उसकी देखभल सुनिश्चित की जाए।
७. जनपद के असिंचित क्षेत्र में सरकारी ट्यूबबेल लगाए जाएं।
८. जंगलों के कटान को रोका जाए।
९. जनपद के बहने वाली नदियों का आपसी सम्बद्धीकरण किया जाए।
१०. अस्थाई जलाशयों का निर्माण।
११. सिंचाई विभाग द्वारा नहरों पर समय से पानी का प्रवाह व उनकी अवैध कटान की देख—रेख हो।
१२. पशुपालन करने एवं चराने की भी सुविधा प्रदान की जाए।
१३. ग्रामीण स्तर पर अनाज बैंकां की स्थापना की जाए।
१४. नदी से पानी को उठाकर बड़े जलाशयों का निर्माण।
१५. बैल चलित पम्प को बढ़ावा दिया जाये।
१६. शासन स्तर पर अन्न वितरण के लिए बैंकों की स्थापना हो।
१७. बांधों की जल भरण क्षमता बढ़ाई जाये और अधूरे बने बांधों को तत्काल पूरा कराया जाये।
१८. तालाबों के किनारे पट्टे न किये जायें।
१९. बादलों को रिझाने वाले बड़े आकार के पेड—पौधों का रोपण यथा बरगढ़, पीपल, महुआ, गूलर, पाकर, जामुन आदि।
२०. प्रत्येक गाँ० की सीमा के चारों ओर फलदार, सघन छायादार ऐसे ही पेड़ों का रोपण।
२१. वन विभाग की अर्थात सरकारी वन भूमि के अन्दर स्थान—स्थान पर योग्य रीति से पानी रोकने का व्यापक प्रबन्ध। यह कार्य या तो वन विभाग करे या करने दें।
२२. जंगल का पानी बहकर बाहर न जाने पावे।
२३. लाखों वर्षों के संतुलन को खनन, कटान नष्ट कर रहे हैं। इन्हें रोके बिना राहत नहीं मिलेगी। चित्रकूट इस पहल में देश का प्रेरक बनें।
२४. ट्रैक्टर संस्कृति से भी धरती—आकाश कार्बर्न युक्त हो रहा है, इसमें अब रोक लगना चाहिए। वायु मण्डल को प्रदूषण से मुक्त कराना होगा।
२५. वृक्षारोपण, बागवानी, जल संचय पर जोर दें।
२६. यह कार्य सरकारी स्तर पर न कराकर समाजसेवियों से कराएं। छोटे—छोटे नालों एवं नदियों को संरक्षित करें।

....
....
....

(बारह)

१२. जनपद को भुखमरी से बचाव के लिए हमारे करणीय सुझाव–

१. अन्नदान कैम्प लगायें जायें।
२. जानवारों को भुखमरी से बचाने के लिए चारागाह क्षेत्र सुनिश्चित हो।
३. पलायन करने वाले मजदूरों का ठीक ढंग से सर्वेक्षण कर उनके विकास के लिए विशेष योजना तैयार की जाए।
४. पलायन पर जाने वाले मजदूरों का मानव संसाधन मानकर उनका रजिस्ट्रेशन कर सम्बन्धित स्थान पर जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी के नाम पत्र जारी किया जाए ताकि कोई दुर्घटना होने पर मजदूर को उचित लाभ मिल सके।
५. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्यान देने योग्य है।
६. निराश्रित महिला–पुरुष एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से कोष बनाकर उन्हें बचाया जाए।
७. जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं उनके लिए कुछ प्रमाण पत्र बनवाकर राशन आवंटन किया जाए।
८. गरीब को काम का दाम तुरन्त मिलें।
९. प्रत्ये हाथ को काम देना होगा।
१०. असहाय को उसके योग्य कार्य देना होगा।
११. व्यक्ति को दर्व्यसन से मुक्त कराने का कार्य शिक्षा केन्द्र करें, तभी वह बचत कर सकेगा अपने–अपने परिवार का पेट भर सकेगा।
१२. मनरेगा आदि कार्य से जो परिवार वर्ष में सर्वाधिक बचत कर दिखायेंगे उनके खाते में प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान खोजा जावे।
१३. गाँव में भाई चारा तथा सम्मान पूर्वक जीने का वातावरण बनाना होगा।
१४. मनरेगा का धन श्रमिक के खाते में सुरक्षित रहे तथा संकट में वह धन उनकी पत्नी को निकालने का हक मिले। यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर परस्पर सहमति से बनाई जा सकती है।
१५. मनरेगा का विस्तार भुखमरी का समाधान है।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(तेरह)

१३. जनपद के वनों के समुचित विकास के लिए करणीय सुझाव—

१. बनों की सुरक्षा, वनवासियों को वनीकरण हेतु भूभाग आवंटन।
२. वन के अन्दर जल संरक्षण का व्यापक कार्य। वन का पानी बन में रहे।
३. फलदार, टिकाऊ तथा बहुउद्देशीय पौधें का रोपण हो।
४. जड़ी—बूटियों का रोपण, संरक्षण हों
५. वन समितियों को उपयोगी बनाया जावे।
६. वन जीवों की वृद्धि तथा संरक्षण हो।
७. वन महोत्सव आयोजित किये जायें।
८. जल्दी खराब होने वाली सड़कों के निर्माण कर्ताओं से वसूली।
९. जन भी निर्माण के समय अपनी जिम्मेदारी समझें।
१०. वन क्षेत्रान्तर्गत फार्म पाण्डस/जलाशयों का निर्माण।
११. बाडवार/सुरक्षा व्यवस्था व चौकीदारों हेतु आवासीय सुविधाओं का विकास।
१२. वनो की जिम्मेदारी, देखरेख, संरक्षण के लिए कोल आदिवासी वनवासी जनजातियों को सौंप दी जाए।
१३. लोगों के जन्मदिन, मैरिज—डे, मृत्यु दिवस इत्यादि में एक फलदार वृक्ष लगाया जाए तो अच्छा होगा।

....
....
....

(चौदह)

१४. जनपद की सड़कों को लेकर करणीय सुझाव—

१. गुणवत्तापूर्ण निर्माण।
२. अवैध कब्जों पर कड़ी कार्यवाही।
३. सड़कों के किनारे महुवा, जामुन, पीपल, बरगद जैसे पौधों का रोपण।
४. अच्छे मानको की सामग्री से सड़कों का निर्माण।
५.जल्दी खराब होने वाली सड़कों के निर्माणकर्ताओं से वसूली।
६. निर्माण के समय एग्रीमेण्ट सार्वसजिक हो।
७. जनपदों में आज भी बहुत से गाँव मुख्य सड़को से नहीं जुड़े हैं उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ना।
८. मानक के अनुरूप निर्माण कार्य हेतु उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण कम्पनियों व उच्चकोटि के संयंत्रों के माध्यम से सड़कों का निर्माण आवश्यक।
९. मानिकपुर से डभौरा के मध्य सड़क निर्माण।
१०. मानिकपुर से धारकुण्डी होकर रीवा (म०प्र०) को जोड़ना।
११. बरगढ से कोटा कंदैला होते हुए मानिकपुर अनुसुइया आश्रम से अमरावती आश्रम होते हुए सरभंगा आश्रम को जोड़ा जाय।
१२. मऊ में यमुना नदी में पुल का निर्माण।
१३. मानको की अनदेखी पर जवाबदेही तय की जाए।
१४. सड़कों के निर्माण में ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए।
१५. मुख्यालय की प्रमुख सड़क राजापुर—पहाड़ी मार्ग ट्रैफिक—चौराहे से जनसेवा इण्टर कालेज तक आइना दिखा रही है चिंता करनी चाहिए।
१६. नेशनल हाईवे समाप्त कर पुनः पी०डब्ल्यू०डी० को दे दिया जाये कम से कम गढ्ढे तो तत्काल भर जायेंगे।
१७. पांच साल तक की गारण्टी लेने वाले ठेकेदारों से ही सड़के बनवायें।
१८. मुआवजा जमा कराया जाए।
१९. निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही ठहराने वाले अफसर भी जिम्मेदारी डाली जाए।
२०. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्राइवेट लैबों का होना आवश्यक है।
२१. वाहनों का ओवर लोड तत्काल बंद हो।
२२. सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना।
२३. सड़क के किनारे बस्ती में जहाँ नाली नहीं है दोनों ओर नाली निर्माण करना।
२४. सड़कों की पटरियों की गैंगमैनों द्वारा समय—समय पर भरते रहना।
२५. सड़को को चौड़ा करके जहाँ संभव हो डिवाइडर बनाना।
२६. मानिकपुर से सेंक्चुरी होकर रोझौहा तक सड़क बने जिससे म०प्र० के लोग बाजार आदि करने मानिकपुर व कर्वी आ सकें। इससे चित्रकूट को ही लाभ होगा।
२७. मानिकपुर से हरिजनपुर की ओर जाने वाली सड़क को दराई गाँव के धौरी भाट से निकालकर गाड़ा कछार होते हुए कौबर गाँव की सड़क से मिला दिया जावे।

....

....

(पन्द्रह

१५. विद्युत व्यवस्था को लेकर हमारे सुझाव–

१. सौर्य ऊर्जा का विकास, उसी का विश्वास।
२. अवैध उपयोग पर कड़ी कार्यवाही।
३. जिन क्षेत्रों में अवैध संयोजन मिले, उस क्षेत्र के विद्युत कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही।
४. प्रधानों को भी उत्तरदायी बनाया जावे।
५. उपयोगकर्ता बचत करे। दुरुपयोग न हो।
६. शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को बराबर आपूर्ति मिलें।
७. वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग बढ़े और सौर ऊर्जा की लागत घटे।
८. स्थानीय स्तर पर उत्पादन के लिए योजनायें बनाई जायें।
९. वैकल्पिक (सोलर इनर्की) ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरण।
१०. ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई एवं कार्य की दृष्टि से विद्युत रोस्टर बने।
११. वन क्षेत्र बरगढ़ में विद्युत प्लान्ट प्रस्थापित हो।
१२. विद्युत कटौती के हिसाब से बिलो में धन की कटौती हो।
१३. ग्रामीण विद्युतीकरण में खपत बिजली को दिये गये कनेक्सनों के आधार पर दिये पावर के अनुरूप विभक्त कर सूचित किया जाए।
१४. ग्रामीण समिति बनाकर विद्युतीकरण पर प्रत्येक माह जन समस्यायें बैठक आयोजित कर सुनवाई व निराकरण ग्राम/शहर वार किया जाए।
१५. रबड बाइण्डयुक्त वायर का प्रयोग किया जाए, ताकि विद्युत चोरी कम हो सके।
१६. ट्रान्सफार्मर बदलने का एक निश्चित समय सीमा तय होना आवश्यक है।
१७. गाँव में ११००० वोल्ट लाइन में पावरपूर्ण न होने से सिंचाई हेतु किसानों की मोटरे नहीं चल पाती है इसका शीघ्र निराकरण होना आवश्यक है।
१८. क्रेशर जैसे उद्योगों को आपूर्ति की जा रही विद्युत का अलग समय निर्धारित करें, इनकी औचक जांच भी करें।
१९. सूखा प्रभावित जनपद होने के कारण विद्युत दरें तर्क संगत होना चाहिए।
२०. बरगढ़ में लगने वाला पावन प्लान्ट यथाशीघ्र शुरू होना चाहिए।
२१. विद्युत विभाग में कम कर्मियों की पूर्ति ।
२२. विद्युत बिल व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी स्थानीय अभियन्ता को दिया जाए। लोग जिले में चक्कर लगाते हुए परेशान हो जाते हैं।
२३. विद्युत कर्मियों द्वारा बेंची जा रही विद्युत पर कड़ाई से रोक लगाई जाए इससे विद्युत खर्च का व्यय उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है।
२४. विद्युत की सुविधा शाम ६ बजे तक करे ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

(सोलह)

१६.. रोज़गार गारण्टी के सफल क्रियान्वयन के लिए यह करणीय है—

१. सर्व प्रथम सभी ग्राम पंचायतों का प्रास्पेक्टिव प्लान बनवाया जाये। प्लान के अनुसार ही काम हो।
२. नरेगा एक्ट के अनुसार भुगतान की साप्ताहिक व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण, सूचनाओं का समुचित प्रकाशन एवं सम्बन्धित दस्तावेजों की ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
३. अप्रत्यक्ष रूप से हो रही ठेकेदारी व्यवस्था को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया जाये।
४. रोजगार कार्ड के अतिरिक्त रोजगार कार्यालय की तरह पंजीकरण करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करायें जायें।
५. रोजगार गारण्टी का शोसल आडिट कराया जाना चाहिए।
६. कानून का सही अनुपालन कराया जाए।
७. जिस क्षेत्र में कार्य चल रहा हो उसका कार्य के पहले एवं बाद में अधिकाधिक निरीक्षण अनिवार्य।
८. गाँव—गाँव नोडल एजेन्सी बनाएं।
९. प्रतिष्ठित संस्थाओं से कार्यों का सत्यापन कराएं।
१०. प्रधानों के परिजनों के जॉबकार्ड न बनें, ऐसी व्यवस्था हो।
११. विकास कार्यों की जानकारी सम्बन्धित गाँव, क्षेत्र एवं पंचायत की पहले से दी जावे।
१२. तैयार मस्टर रोल, बिल, बाउचर, एम०बी० बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट लेने का अधिकार आम जनता को दिया जाए।
१३. सोशल ऑडिट का अधिकार ग्राम सभा एवं स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाए।

....

....

(सत्रह)

१७. पर्यावरणीय विकास के लिए चित्रकूट में यह करणीय है–

१. प्रत्येक किसान को अपनी १० प्रतिशत भूमि पर फलदार वृक्ष की प्रेरणा दें।
२. जंगल कटान पर कड़ाई।
३. पर्वतों का विनाश, कटान, तोडाई कड़ाई से रुके।
४. सभी सार्वजनिक स्थानों तथा सार्वजनिक पड़ी भूमि पर फलदार पेड़ लगे, स्थान–स्थान पर लगें। पीपल, गूलर, नीम, बरगद, पाकर, जामुन जैसे वृक्षो की संख्या बढ़ाना होगा।
५. वाहनों में सी०एन०जी० गैस के लिए सी०एन०जी० स्टेशनों का निर्माण हो।
६. सन्त, महात्माओं (मठ, मन्दिरों) का मल, जल मंदाकिनी में न जावे।
७. संस्थाओं/राजनेताओं के भवनों का जल उपरोषित कराने का प्रयास हो।
८. जल शवदाह/पन्नी प्रयोग/शराब बिक्री बन्द की जावे।
९. कूडे–कचड़े के अवशेष को वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जावे।
१०. पहाड़ टूटने से रोके/मंदाकिनी को प्रदूषण मुक्त करें। चित्रकूट में अंधाधुन्ध भवन निर्माण रोका जावे।
११. नहरों के किनारे वृक्ष लगाये जायें।
१२. सोख्ता शौंचालयों का निर्माण।
१३. क्रेसर मशीन (स्टोनमिल) में प्रदूषण नियत्रंण हर हाल में अनिवार्य होना चाहिए केवल कागजी तौर पर नहीं।
१४. रेलवे क्रासिंग में ओवर ब्रिज बनाया जाए।
१५. सीवर प्लान्ट का यथाशीघ्र चालू होना।
१६. विद्युत शवदाह गृह का निर्माण।

(अठारह)

१८. बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे आवश्यक सुझाव–

१. बचपन से शिक्षा के साथ स्वास्थ्य जागरूकता।
२. जड़ी बूटियों के ज्ञान का विस्तार।
३. औषधीय पौधों की जानकारी का विस्तार।
४. गाँव के गुणी बैद्यों का सार्थक प्रशिक्षण।
५. गाँव–गाँव में औषधीय पौंधों की बाटिकाओं का विस्तार।
६. उन चिकित्सकों/चिकित्साधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए जो निजी प्रैक्टिस में ज्यादा मशगूल रहते हैं।
७. एक ऐसे सचल चिकित्सालय को बनाया जाना चाहिए जो दमकल विभाग की तरह हर समय जनपद में कहीं भी 'मूव' करने को तैयार रहे।
८. जननी सुरक्षा योजना (आशा बहुए) अच्छा कर रही हैं इन्हें प्रशिक्षित प्रोत्साहित किया जाए।
९. स्कूलों के छात्रों का सरकार की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए।
१०. अच्छे एवं सुविज्ञ डाक्टरों की तैनाती करायी जाये।
११. ग्राम अंचलों में अधिकाधिक अस्पताल खोले जायें।
१२. गरीबों को दवाओं की उपलब्धता के लिए कार्ड प्रदान किये जायें।
१३. जिला अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण हों।
१४. ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हो।
१५. स्वास्थ्य सेवा के लिये योग केन्द्र स्थापित किये जायें।
१६. अस्पतालों में मानकों के अनुसार डाक्टरों, दवाओं व स्टाफ की तैनाती एवं पुराने उपकरणों की जगह नये उपकरण।
१७. मोबाइल टीम गठित की जाये संविदा के डाक्टर रखे जाये।
१८. आधुनिक चिकित्सालय हो और ब्लड बैंक पर्याप्त औषधियों का भण्डारण हो।
१९. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की टीम का प्रत्येक सप्ताह कैम्प लगाया जाये।
२०. आयुर्वेदिक उपचार का व्यापक प्रचार प्रसार।
२१. झोलाछाप डाक्टरों का कडाई से सफाया हो।
२२. महिला चिकित्सा एवं डाक्टरों की वर्षों से लम्बित समस्या का निदान हो।
२३. आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एलोपैथिक पैर्टन पर विकसित किया जाना चाहिए।
२४. प्रति सप्ताह दवाओं के स्टाक का सत्यापन कराएं।
२५. सत्यापन में स्वतंत्र एजेन्सी के भी लोग शामिल करें
२६. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों/स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित कराएं।
२७. महिला अस्पताल का विकास हो।
२८. स्वच्छता अभियान चलाया जाये।
२९. पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हो।
३०. डाक्टरों की कमी को दूर करने हेतु नियुक्ति करना।
३१. जिला चिकित्सालय में आपात कालीन तथा जीव रक्षक सुविधाओं को बढ़ाना।

३२. अस्पतालों में दवाओं के बजट को बढ़ाना तथा दवा मिलना।
३३. आयुष चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाकर इस कमी को पूरा करना।
३४. प्रत्येक गरीब असहाय व्यक्ति का सर्वेक्षण करवाकर स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए।
३५. टीकाकरण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा इसे एनम की सक्रियता बढ़ाकर प्रभावी बनाया जाए।
३६. चित्रकूट में भी मेडिकल कालेज बनवाया जाएं
३७. कुपोषित बच्चों को सर्वेक्षण करवाकर उनका उचित इलाज करवाया जाए।

(उन्नीस)

१९. चित्रकूट के धार्मिक विकास तथा प्रागैतिहासिक स्थलों के विकास हेतु हमारे विशेष सुझाव–

१. सभी स्थलों का ठीक–ठीक युगानुकूल इतिहास लेखन हिन्दी, अंगेजी।
२. पहुँच मार्गो का निर्माण।
३. पाखण्ड, पंण्डागिरी से मुक्त रखने का प्रयासं
४. नित्य यात्रियों के लिए भ्रमण कार्यक्रम।
५. चित्रकूटकी बेवसाइड बनाना।
६. योग्य स्थलों की पहचान व प्रचार किया जाये।
७. चित्रकूट का प्राकृतिक दृश्य आकर्षक है इसकी प्राकृतिक सुन्दरता को प्रकृति के माध्यम से और आकर्षक बनाया जाये।
८. नदी के किनारे फूल और फलों के वृक्ष लगाये जायें। फूलों के बगीचे तैयार किये जायें।
९. धार्मिक विकास हेतु अनुसंधान संस्थाओं की व्यवस्था।
१०. सर्व धर्म सदभावना समिति का गठन।
११. कोठी तालाब (कर्वी) की दुर्दशा कब तक हम देखते रहेंगे।
१२. परिक्रमा मार्ग में खोही के पास से बरहा हनुमान मन्दिर तक ओवर ब्रिज बनाकर जाम की समस्या हल होनी चाहिए।
१३. भरतकूप को आज भी हम पूर्ण रूप से चित्रकूट पर्यटन में नहीं जोड़ पाये हैं।
१४. राजापुर तुलसी जन्म स्थली, लालापुर बाल्मीकि आश्रम जो कि विश्व विख्यात होना चाहिए उसे हम पर्यटन मानचित्र में भी नहीं ला पाये।
१५. चित्रकूट में संस्कृति और संस्कृति की एक पीठ की स्थापना की जाए।
१६. प्रागैतिहासिक स्थलों को पुरातत्व के हवाले कर दिया जाए।
१७. चित्रकूट के पण्डो का रजिस्ट्रेशन हो, साथ नाविक–नाइयों का रजिस्ट्रेशन हो।
१८. धार्मिक ट्रस्टों व मन्दिरों में परिवादवाद समाप्त हो।

(बीस)

२०. चित्रकूट के विकास हेतु 'जन' की कारगर भूमिका के लिए हमारे आवश्यक सुझाव निम्नवत हैं—

१. जन जागरूकता।
२. कर्त्तव्यबोध का भाव जगाने का प्रयास।
३. चुप्पी की संस्कृति तोड़ने का अभियान।
४. मीडिया साथियों की सार्थक भूमिका हेतु उन्हें प्रेरित, पोषित तथा सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे और अधिक गतिमान बन सकें।
५. चित्रकूट के लिए पारदर्शी सूचना केन्द्र बनें।
६. ऐसे आयोजन प्रति वर्ष। प्रति छमाही अवश्य हों।
७. जनपद का विकास ही जन का विकास है यह भावना हो।
८. जन खुद विकास से संबंधित प्रस्ताव दें।
९. चित्रकूट में भवनों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण पहाड़ों का कुछ भाग तोड़ा जा रहा है पेड़ काटे जा रहे हैं। इस प्राकृतिक विनाश को रोका जाये। चित्रकूट की शोभा पहाड़ों एवं बनों से है।
१०. जन के 'मन' को मनमानी करने से रोका जाए।
११. जिला बन जाने के इतने वर्षों बाद भी लम्बित बांदा से जो भी विभागों के कार्य बाकी हैं वह पूरे किये जायें।
१२. जन पंचायतों और अदालतों को बल दिया जाना चाहिए।
१३. छोटे मामले कोर्ट में ले जाने के प्रचलन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
१४. मंदिरों/धर्मशालाओं से अवैध कब्जे हटवायें।
१५. अपने—अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना चाहिए।
१६. जाति व धर्म से हटकर जनप्रतिनिधियों का चयन हो।
१७. निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जन कल्याण के लिये राजनीति हो।
१८. सम्पत्ति के लिये साधु का भेष न धरे।
१९. चित्रकूट के विकास के लिए जन—जन को सकारात्मक सोच के साथ प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करना होगा।
२०. लोगों को ठगी, दलाली, लूट, खसोट, से खुद बचना होगा तथा लोगों को बचाना होगा।
२१. ईमानदार अधिकारी/कर्मचारी एवं जन प्रतिनिधियों को पुरुष्कृत करना होगा।

(इक्कीस)

२१. 'चित्रकूट–संसद' जैसे आयोजन के सन्दर्भ में हमारे सुझाव–

१. सार्थक प्रयास।
२. जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे निरन्तर करते रहने का प्रयास।
३. कार्यों का मूल्यांकनं
४. और अधिक लोगों को जोड़ने का अभियान।
५. प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। सबको एक मंच पर लाना ही एक सार्थक पहल है। जो निर्णय हो उसे लागू किया जाए न कि कागजों में सिमटकर रह जाये।
६. यह आयोजन इतना प्रभावी हो कि प्रतिनिधि इसके प्रति जवाबदेह हो।
७. आयोजन का प्रचार प्रसार प्रभावी ढंग से किया जाए।
८. जो जनप्रतिनिधि शामिल न हो उसे अहसास दिलाया जाए कि उसका आना आवश्यक है।
९. समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो।
१०.चित्रकूट संसद तभी चरितार्थ होगी जब अपेक्षित परिणाम की ओर कदम चलें।
११. चित्रकूट संसद के प्रस्ताव एक पक्षीय न कहें जाएं इसके लिए मजबूत विपक्ष को स्थान देना भी अति महत्वपूर्ण होगा।
१२. भविष्य में इस प्रश्नावली को विचारों के वृहद आमंत्रण हेतु वेबसाइड पर डालना चाहिए।
१३. यह विचार आज नहीं तो कल लोगों के सीध ह्रदय से बात करेगा।
१४. आयोजन के लिए स्थायी मंच/समिति गठित की जाए जिसके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार हों।
१५. संसद में लिए गये निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और उसे जनता के सामने रखा जाए।
१६. यह संसद प्रत्येक छमाही होनी चाहिए और छमाही कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए।
१७. क्षमता विकास एवं क्षमता वृद्धि के साथ एक ओजस्वी संकल्प का प्रादुर्भाव होगा।
१८. इस माध्यम से जो भी विचार हो उनसे क्या निष्कर्ष निकला यह अगली बैठक में रखा जाये।
१९. प्रति तीन माह में यह संसद बैठे।
२०. जिम्मेदार विभागीय अधिकारी अवश्य पहुँचे।
२१. जिले के बाहर के मंत्री एवं सचिव स्तर के अधिकारी इस संसद में आमंत्रित किये जाये।
२२. इस आयोजन में आए प्रस्तावों/सुझावों को सूची बद्ध करें।
२३. क्रमश: एक–एक बिन्दु पर विकास की ओर बढ़े।
२४. सर्व दलीय उपस्थित होने के कारण राजनीतिक कटाक्ष न होने देने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए।
२५. एक अभूतपूर्व प्रयास जो कल्पना को साकार रूप प्रदान करने का चुनौतीपूर्ण प्रयास है।
२६. संसद के मंत्रीमण्डल का चयन हो।
२७. मंत्रिमण्डल में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन का प्राविधान हो।
२८. संसद में उठे सुझाव राज्य एवं केन्द्र की विधानसभा एवं संसद में भी उठने चाहिए।
२९. संसद का फालोअप भी होना चाहिए।
३०. संसद में उठे प्रश्न एवं सुझाव की बुकलेट बननी चाहिए।

अन्य सुझाव/प्रस्ताव

१. माननीय मंत्री श्री दद्दू प्रसाद जी की अब बारी है कि वे चित्रकूट विकास का ऐतिहासिक दस्तावेज बनवाकर, छपवाकर जन के हांथों में सौंपे।

२. सेमरिया जगन्नाथवासी (जगन्नाथ) गाँव से लगभग ३ कि०मी० के दायरे में, भगनपुर, बालापुर, ढर्री, छपरा, मैनहाई आदि गांव है यहाँ सेमरिया ज० बा० मध्य में इण्टर मीडिएट विद्यालय होना अति आवश्यक है।

३. मनरेगा के कार्य एवं भुगतान पारदर्शी बने। फर्जीवाडा रोका जाये।

४. सभी भुगतान बैंक से हो रहे हैं। उनके जनरल को/समस्या को ध्यान में रखकर मासिक भुगतान की व्यवस्था हो।

५. जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दे ही प्रमुख है इन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

६. जन प्रतिनिधियों से उनके कार्यकाल की उपलब्धियों का हिसाब लिया जाय।

७. पर्यटन प्रमुख उद्योग हो सकता है। संभावनाओं पर विचार हो।

८. पांच गाँवों का चक्रीय क्रम से मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए तथा अनियमितता पाये जाने पर जवाबदेह बनाया जाये।

९. परियोजना निदेशक को माह में दो तथा मुख्य विकास अधिकारी को एक गांव की जांच समीक्षा का दायित्व दिया जाए तथा अनियमितता होने पर जवाबदेह बनाया जाए।

१०. रेलवे स्टेशन में टिकट खिड़की बढ़ाया जाये।

११. रेलवे स्टेशन से फुट ओवर ब्रिज जो स्टेशन रोड़ से गल्ला मण्डी वाली रोड़ को जोड़ सके। इससे रेलवे क्रासिंग की जाम की समस्या काफी हल हो जायेगी।

१२. जनपद में खेलों के एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए एक स्टेडियम का निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है।

१३. जनपद में बालश्रम को रोकने व मुक्त हुये बालश्रमिकों के शैक्षिक व तकनीकी कौशल विकास के लिए समुचित प्रयास सामाजिक व सरकारी स्तर पर किये जाना नितान्त आवश्यक है।

१४. रचनात्मक कार्यो में संक्षिप्त लोगों की सुरक्षा की जाएं।

१५. रचनात्मक कार्यों में लगे आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की मदद की जाए। उत्साह वर्धन के भी कार्य करें।

१६. वंचित वर्ग/अनुसूचित जाति के उत्थान को अलग से योजनाएं बनाएं, इन्हें सीधे लाभान्वित करें।

१७. जाति–पाति के भेदभाव को दूर करने की पहल करें।

१८. सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वालों को प्रोत्साहित करें।

२०. बरगढ़ में ४००० मेगावाट का प्रस्तावित सयन्त्र यथाशीघ्र शुरू होना चाहिए।

२१. पुलिस बल बढ़ाने, नये प्रस्तावित चौकियों का निर्माण यथाशीघ्र होने का प्रयास होना चाहिए।

२२. मानिकपुर को तहसील बनाने, राजापुर को तहसील बनाने एवं भौंरी एवं सधुवा को ब्लाक बनाने का प्रयास होना चाहिए।

....

....

....

....

....

विकास की त्वरित चिंता और चिंतन करते हुए इन महानुभावों ने समयावधि में 'चित्रकूट–संसद' के लिए अपने सुझाव सौंपे, प्रशंसनीय ! वंदनीय !

१. डॉ० आर०सी० सिंह

अधिष्ठाता, ग्रामीण विकास एवं व्यावसाय प्रबन्धन
ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट

२. श्री गुरू प्रकाश शुक्ल

तकनीकी सहायका
ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट

३. श्री भैरो प्रसाद मिश्र

पूर्व विधायक, कर्वी

४. श्री लक्ष्मण गर्ग

लैब तकनीशियन, अभि० एवं प्रौद्योगिक विभाग
ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

५. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

परियोना निदेशक
जनपद–चित्रकूट

६. डॉ० रघुवंश प्रसाद बाजपेयी

वरिष्ठ व्याख्याता

ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

७. श्री बलबीर सिंह

निदेशक–भारतीय साहित्यक संस्थान, चित्रकूट

८. सुश्री रंजना उपाध्याय

जिलाध्यक्ष–महिला मोर्चा
भारतीय जनता पार्टी, चित्रकूट

९. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

चीफ ब्यूरों–दैनिक जागरण (झांसी), कर्वी

१०. श्री देवीदन करुणाकर

सदर मुंशरिफ
जनपद न्यायालय, चित्रकूट

११. श्री संजय कुमार त्रिपाठी

ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट

१२. श्री गजेन्द्र सिंह

जागृति संस्थान, मानिकपुर

१३. श्री आनन्दराव तैलंग

शिक्षक–सी०आई०सी०, कर्वी

१४. डॉ० एस०के०चतुर्वेदी

वरिष्ठ व्याख्याता अकादमिक
ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट

१५. श्री विंदेश्वरी प्रसाद

प्रवक्ता–सी०आई०सी०, कर्वी

१६. श्री मइयादीन पटेल

सहायक अध्यापक
जनसेवा इण्टर कालेज, कर्वी

१७. श्री प्रतीक गुप्ता

सामाजिक कार्यकर्ता, मझगवाँ

१८. श्री राजकुमार पाल

प्रबन्ध निदेशक
डॉ० राममनोहर लोहिया चित्रकूट शिक्षण संस्थान

१९. श्री अमर दीप

चीफ ब्यूरो–अमरा उजाला, कर्वी

२०.श्री भागवत प्रसाद गौतम

शिक्षक–सेमरिया जगन्नाथवासी, चित्रकूट

२१.श्री जे०पी०सिंह

अधिशाषी अभियन्ता
यू०प्रो०यू०जन निगम

२२.सुश्री शालिनी

एम०एस०सी० पर्यावरण
C/o रचना सामाजिक संस्थान

२३.श्री रामसागर चतुर्वेदी

उपाध्यक्ष–बसपा, चित्रकूट

२४.श्री अनुपम मिश्रा

विद्यार्थी परिषद–चित्रकूट

२५.सरस्वती

सचिव–महिला जागृति मण्डल, कर्वी

२६.श्री पंकज अग्रवाल

जिलाध्यक्ष–युवा व्यापार मण्डल, चित्रकूट

२७.श्री रामलाल द्विवेदी

पोस्टर मास्टर, कर्वी

२८.श्री छेदीलाल तिवारी

सेवा निवृत्त अध्यापक
चित्रकूट इण्टर कालेज, कर्वी

२९.श्री गोपाल भाई

सामाजिक कार्यकर्ता
अ०भा०समाज सेवा संस्थान, चित्रकूट

३०.श्री आलोक द्विवेदी

निदेशक–मानव सेवा संस्थान, कर्वी

३१.श्री मलखान सिंह

प्रवक्ता–तुलसी इण्टर कालेज, कर्वी

३२.श्री प्रयाग नारायण अग्रवाल

अध्यक्ष–भारतीय साहित्यिक संस्थान, कर्वी

३३.श्री कुलदीप कुमार मिश्र

जिलाध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन–चित्रकूट

३४.श्री बल्देव प्रसाद अग्रवाल

उपाध्यक्ष–बसपा, चित्रकूट

३५.श्री एम०ए०सिद्दीकी

उप कृषि निदेशक, चित्रकूट

३६.श्री योगेन्द्र दत्त द्विवेदी

पूर्व प्रवक्ता–चित्रकूट कालेज, कर्वी

३७.डॉ० सतीश चन्द्र

प्राचार्य
गो०तु०राजकीय महाविद्यालय, कर्वी–चित्रकूट

३८.श्री रमेश चन्द्र शुक्ला

सामाजिक कार्यकर्ता, मानिकपुर

३९.श्री श्यामनारायण भावे

महा०गांधी ग्रामोदय वि०वि० चित्रकूट

४०.श्री जे०पी०सिंह

अधिशाषी अभियन्ता
यू०प्रो०यू०, उ०प्र० जल निगम, कर्वी

४१.श्री रंगनाथ शुक्ल

पूर्व पुलिस अधिकारी, चित्रकूट

४२.श्री विवेक मिश्र

रिपोर्टर–ई०टी०वी०, कर्वी

४३.श्री रुद्ध प्रसाद मिश्र

एडवोकेट, कर्वी

४४.श्री जे०पी०कुशवाहा

भूमि संरक्षण अधिकारी, चित्रकूट

४५.सुश्री स्मिता रिछारिया

कर्वी

४६.श्री आलोक कुमार पाण्डेय

युवा सामाजिक कार्यकर्ता
अ०भा०विद्यार्थी परिषद, कर्वी

४७.श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्र

प्रवक्ता, कर्वी—चित्रकूट

४८.श्री योगेश जैन

जिला संवाददाता—दैनिक स्वदेश, कर्वी

४९.श्री चन्द्रदत्त पाण्डेय

प्रधानाचार्य—महर्षि बाल्मीक आश्रम, लालापुर—रैपुरा

५०.श्री मनोज कुमार आर्य

अधिशाषी अभियन्ता—जल संस्थान, कर्वी

५१.श्री अतुत तिवारी

शिक्षक—कर्वी

५२.सुश्री मीनाक्षी गुप्ता

महिला समाख्या, कर्वी

५३.सुश्री लक्ष्मी देवी साहू

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, कर्वी

५४.श्री सुशील मिश्र

ग्रामो. विवि.चित्रकूट

५५.श्री संतोष त्रिपाठी

संविदाकार, चित्रकूट (म०प्र०)

विकास की त्वरित चिंता
और चिंतन करते हुए इन
महानुभावों ने समयावधि में
'चित्रकूट-संसद' के लिए
अपने सुझाव सौंपे,
प्रशंसनीय ! वंदनीय !